B-3~~4~~ 4
L- 47
Polity

# न्यायपालिका

## शक्ति पृथक्करण एवं न्यायालय :-

- अमेरिकी संविधान में शक्तिपृथक्करण निम्नलिखित रूप में विद्यमान है -

(i) तीनों अंगों के कार्य अलग-अलग हैं।
(ii) तीनों अंगों के पदाधिकारी पृथक हैं।
(iii) तीनों अंगों के कार्यकाल पृथक हैं।

- जबकि भारत में शक्तिपृथक्करण केवल कार्य के स्तर पर ही पाया जाता है जिसके अनुसार बिधायिका का कार्य बिधि निर्माण कार्यपालिका का कार्य विधेयों का क्रियान्वयन और न्यायालय का कार्य बिवादों का निस्तारण है। अत: न्यायालय एक बिवाद निवारण तंत्र है

## अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता :-

- अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है जिसकी व्याख्या का अन्तिम आधिकार न्यायालय को दिया गया है

- संविधान
- मूल अधिकार
- संघीय व्यवस्था

न्यायपालिका
- कांग्रेस प्रतिनिधि सदन + सीनेट
- कार्यपालिका
  राष्ट्रपति / मंत्रिमण्डल

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा विधायिका को प्राथमिक शक्ति देने का प्रयास किया गया था लेकिन क्रमिक रूप में अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का विचार स्थापित हो गया।

- और अमेरिका में उच्चतम न्यायालय। न्यायालय तीसरा सदन बन गया क्योंकि कांग्रेस के द्वारा निर्मित किसी विधी को उच्चतम न्यायालय पुनः लिखने का प्रयास करता है।

- अमेरिका में न्यायपालिका को तटस्थ और निष्पक्ष बनाने के साथ न्यायालय सर्वोच्च भी बन गया लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा तटस्थ और निष्पक्ष न्यायालय का समर्थन किया गया जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं-

(i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उन्हें अपने पद से तभी हटाया जायेगा जब संसद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे।

(ii) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं जिसमें कटौती संभव नहीं है।

(iii) न्यायाधीशों के आचरण के सम्बन्ध में संसद में कोई चर्चा नहीं हो सकती।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्ति के बाद समूचे भारतीय क्षेत्र में कहीं भी या किसी भी न्यायालय में वकालत नही कर सकते हैं।
- जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उन न्यायालयों में वकालत नही करेंगे जहाँ उन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित करने के प्रयास:

- न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्त करने के बाद विभिन्न पदों का लालच देकर उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में अनेक न्यायाधीशों को राज्यपाल बनाया गया।
- उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश र॰ गोगोई को राज्यसभा की सदस्यता दी गई
- भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र लेकिन सर्वोच्च नही

- संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया था कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता सामाजिक न्याय प्राप्त करने के मार्ग में बाधा हो सकती है। और न्यायालय और



KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

कार्यपालिका के बीच टकराव बढ़ने से भारतीय लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव होगा इसीलिए संविधान के द्वारा ही न्यायिक पुनरावलोकन पर निम्नलिखित प्रतिबंध आरोपित हैं।-

(i) संघ और राज्यों के बीच के संघीय विवाद (अनुच्छेद 131) जिसे उच्चतम न्यायालय की आरम्भिक अधिकारिता भी कहा जाता है।

(ii) पर निम्नलिखित प्रतिबंध आरोपित हैं-

(a) नदी जल विवाद

(b) वित्त आयोग को सौंपे गए मामले।

(c) संविधान लागू के पहले संघ और राज्यों के बीच किये गए सन्धियों एवं समझौते।

(d) संघ राज्य के बीच वित्तीय लेनदेन के मामले

- इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मुद्दे भी उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हैं-

(a) संसदीय विशेषाधिकार

(b) चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन

(c) मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

## संसदीय शासन का विचार लेकिन संसदीय सर्वोच्चता नही :-

- ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का विचार अपनाया गया है और ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता के लिए कहावत है- "कि संसद सब कुछ कर सकती सिवाय पुरूष को महिला और महिला को पुरूष नही बना सकती है"।

- जिसके कारण निम्नलिखित हैं -

(i) ब्रिटेन में लिखित संविधान नही है इसलिए संसदीय विधी ही सर्वोच्च विधी है।

(ii) लिखित संविधान न होने से मूल अधिकार का प्रावधान ही नही है कि शासन एकात्मक है इसलिए संघ राज्य का विवाद उत्पन्न नही होता।

(iii) जहाँ लिखित संविधान नही होगा वहां न्यायिक पुनरावलोकन भी नही होगा।

| विधायिका | कार्यपालिका | न्यायपालिका |
| --- | --- | --- |
| • वक्फ बोर्ड | ट्रक रोकने का कार्य | अनुच्छेद 25 |
| संशोधन विधेयक | कार्तीम | अनुच्छेद 29, 30 |

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- यह संयोग का विषय है कि भारत में लिखित संविधान भी है, मूल अधिकार भी है और संघीय शासन भी विद्यमान है अतः संसद ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जो संविधान के विरुद्ध हो। अतः भारत में संविधान की सर्वोच्चता है संसद की सर्वोच्चता नहीं।

- भारत की संसद सम्प्रभु है क्योंकि भारतीय भू-भाग पर विधि निर्माण का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास है लेकिन संसद के विधि संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध न हो यह दायित्व न्यायालय को दिया गया है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति :-

- शक्ति पृथक्करण की धारणा के अनुसार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।